भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3085
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नादिया जिले में आर्सेनिक रहित जल की पाइप द्वारा आपूर्ति

3085. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पश्चिम बंगाल के रणघाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कई क्षेत्र, विशेषकर नादिया जिले के हंसखली और कृष्णगंज, भूजल में आर्सेनिक संदूषण से बुरी तरह से प्रभावित हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) के अंतर्गत इन प्रभावित क्षेत्रों के सभी घरों में आर्सेनिक रहित पेयजल की पाइप द्वारा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) वर्तमान में हंसखली और कृष्णगंज में आर्सेनिक रहित स्रोतों से पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति से कितने गाँव जुड़े हैं और कितने गाँवों को अभी तक जोड़ा नहीं गया है;
(घ) इन आर्गेनिक प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित, पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति का शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
(ङ) क्या इस क्षेत्र में गंभीर जल गुणवत्ता संकट को देखते हुए, इसके लिए कोई विशेष वित्तीय आवंटन या तकनीकी उपायों की योजना तैयार की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): पश्चिम बंगाल का रणघाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के अंतर्गत आता है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत एक संगठन केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), भूजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम तथा विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के डेटा सहित भूजल गुणवत्ता डेटा तैयार करता है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट - 2024 जारी की गई है जिसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:
https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17363272771910393216file.pdf.

उल्लिखित रिपोर्ट के अनुसार, नादिया जिला देश के उन जिलों में से एक है जिनमें भूजल में आर्सेनिक की विषम मात्रा एक अथवा अधिक स्थानों (10 पीपीबी **>** अनुसार) पर 10 अंश प्रति बिलियन (पीपीबी) से अधिक पाई गई थी।

भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय फ्लोराइड सहित रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल जीवन मिशन मानकों के अनुरूप पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों के चालू होने तक विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में प्रत्येक परिवार को उनकी पेय और खाना बनाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें।

इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आर्सेनिक प्रभावित सभी 57 बसावटों को सीडब्ल्यूपीपी/आईएचपी के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बसावटों को आर्सेनिक संदूषण से मुक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के भाग के रूप में मार्च 2017 में शुरू किए गए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) को बाद में जेजेएम के तहत शामिल कर दिया गया।

(ग) से (ङ): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों/निर्माण कार्यों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों/कार्यों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है।

हंसखली और कृष्णगंज के ब्लॉकों सहित नादिया जिले के लिए पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर सूचित नल जल कनेक्शन वाले गांव का ब्लॉक-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव पर ध्यान देने के साथ मिशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। तदनुसार, जल जीवन मिशन को वर्धित कुल परिव्यय के साथ 2028 तक जारी रखने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

*****

अनुबंध

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3085 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पश्चिम बंगाल, जिला-नादिया: एफएचटीसी कवरेज वाले गांवों की संख्या का ब्लॉक-वार विवरण (04.08.2025 तक)

क्र.सं.	ब्लॉक	गांवों की संख्या	एफएचटीसी वाले गांवों की संख्या								
			100% एफएचटीसी	>= 90 से < 100 %	>= 80 से < 90 %	>= 70 से < 80 %	>= 50 से < 70 %	>=20 से < 50 %	>= 5 से < 20 %	> 0 से < 5 %	0 एफएचटीसी
1.	चकदह	101	48	28	11	7	2	3	1	1	-
2.	छपरा	79	53	7	7	2	3	3	2	1	1
3.	हंसखली	79	48	11	5	4	6	1	3	1	-
4.	हरिनघाट	81	53	14	6	4	3	-	-	1	-
5.	कालीगंज	104	65	5	11	7	8	4	1	3	-
6.	कल्याणी	47	29	6	3	1	2	2	3	1	-
7.	करीमपुर-1	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	करीमपुर-ii	65	35	8	4	4	9	2	1	2	-
9.	कृष्णगंज	52	36	5	4	1	3	1	1	1	-
10.	कृष्णानगर-i	90	42	19	7	6	6	3	2	5	-
11.	कृष्णानगर-ii	44	15	5	8	7	4	3	1	1	-
12.	नवद्वीप	27	14	2	1	1	1	5	3	-	-
13.	नकाशीपारा	101	44	16	15	10	8	8	-	-	-
14.	रणघाट-i	64	30	5	6	7	6	4	3	2	1
15.	रणघाट-ii	113	70	11	14	6	9	2	-	-	1
16.	शांतिपुर	62	48	-	1	1	3	3	2	1	3
17.	तेहट्टा-i	55	33	8	7	3	2	1	-	-	1
18.	तेहट्टा-ii	32	17	6	4	1	2	1	-	-	1
कुल		**1,263**	**747**	**156**	**114**	**72**	**77**	**46**	**23**	**20**	**8**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस